

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

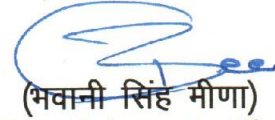
क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(वी-184) अलेसे-1/ 19

दिनांक:- 04/02/2021

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या 33/2020-21 दिनांक 01.01.2021 के क्र.सं. 24 के कॉलम संख्या 5 पर वर्णित नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम "आर.एन.रुईया राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ शेखावटी (सीकर)" के स्थान पर "आर.एन.रुईया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावटी (सीकर)" पढ़ा जावे।

उक्त शुद्धि पत्र निदेशक महोदय से अनुमोदित है।



(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(वी-184) अलेसे-1/ 19

दिनांक:- 04/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, सीकर।
3. उपनिदेशक, भेड प्रजनन फार्म, फतेहपुर (सीकर)।
4. प्राचार्य, आर.एन.रुईया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावटी (सीकर)।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।



(कुसुम मीणा)

सहायक निदेशक (कार्मिक- I)